

19.6.19

कारण पत्रावली वास्ते... होने के
तलाबी हेतु
दिनांक 22/7/19 को पेश हों।

रीडर

रखीप्रियम बोहरी



9.7.2019 वादी के शर्चना पत्र पर पत्रावली
पेशी में ली गई। वादी ने शर्चना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि वादी का रजिनामा हो
जाने के कारण दावा में कोई कार्यवाही नहीं
चाहता अतः वादी का वाद जरिये विद्वा में
थारिज फरमाया जावे।

वादी के उक्त शर्चना-पत्र पर वाद
विद्वा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
वादी संख्या 1 दाय दिनांक 9.4.2018 को
वाद विद्वा किया जा चुका है। अतः पत्रावली
में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के
कारण पत्रावली बाद निठिय दायर रजिस्टर
में से कम होकर दाखिल दर्ज़र है।

निठिय सुनाया गया।

दिनांक
(सविता विश्कोई)